# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 175/2016/अपील/एल.आर.एक्ट/बारां
दायरा दिनांक: 28.10.2016
अन्तर्गत धारा: 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

**उनवान**

1. कन्याबाई पत्नी स्वर्गीय बंशीलाल
2. रीनाबाई पुत्री स्वर्गीय बंशीलाल
3. दिलखुश उर्फ प्रवीण नाबालिग पुत्र स्वर्गीय बंशीलाल
4. कमलेश बाई नाबालिग पुत्री स्वर्गीय बंशीलाल
5. समोला बाई नाबालिग पुत्री स्वर्गीय बंशीलाल
   जाति बंजारा निवासीगण बडगांव तहसील अन्ता जिला बांरा राज0।

**बनाम** ....अपीलांट्स

1. रामचन्द्र पुत्र श्रवणलाल जाति माली निवासी ग्राम बडगांव तहसील अन्ता जिला बांरा राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता जिला बांरा।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री जगदीश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट्स
श्री श्यामलाल सुमन अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम–1

**:::निर्णय:::**

दिनांक 12.10.2017

अपीलांट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 15/2016 धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 बउनवान रामचन्द्र बनाम कन्याबाई आदि मे पारित निर्णय दिनांक 16.11.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि तहसीलदार अन्ता द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 7.5.2013 की पालना मे ग्राम बडगांव स्थित आराजी ख0 नं0 1733 रकबा 0.29 है0 भूमि कन्याबाई पत्नी स्व0 बंशीलाल दिलखुश (नाबा.) बंशीलाल, रीनाबाई (नाबा.) कमलेशबाई (नाबा.) समीलाबाई (नाबा.) पुत्रिया बंशीलाल नाबा. की वली माता कन्याबाई जाति बंजारा के नाम स्वीकार किया गया नामान्तरकरण संख्या 1298 दिनांक 8.3.2016 से अप्रसन्न होकर रेस्पो0 क्रम–1 रामचन्द्र द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील इस आशय के साथ पेश की गई कि परीक्षण न्यायालय द्वारा विवादित आराजी का स्वीकार किया गया नामा0 खिलाफ कानून संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के विपरीत है क्योंकि परीक्षण न्यायालय ने नामा0 स्वीकार करने से पूर्व सुनवायी का कोई अवसर नही दिया। विवादित आराजी चारागाह है जो किसी भी न्यायालय द्वारा कन्याबाई वगेरा के पक्ष मे खातेदारी दिये जाने की कोई डिक्री अथवा निर्णय पारित नहीं किया। ऐसी स्थिति मे परीक्षण न्यायालय ने उक्त चारागाह भूमि का कन्याबाई वगेरा के पक्ष मे स्वीकार नामा0 सं0 1298 निरस्त किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला

अति० सं० भाग०
कोटा

2– यह कि योग्य अधीनस्थ

कलक्टर बारां ने रामचन्द्र द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार कर न्यायालय तहसीलदार अन्ता द्वारा तस्दीकी नामा0 सं0 1298 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर विवादित आराजी को पूर्ववत चारागाह दर्ज करने के आदेश दिये तथा कन्याबाई के पक्ष मे तस्दीकी इन्तकाल सं0 940 को यथावत रखा जाकर अवस्थित आराजी ख0 नं0 2547/1734 रकबा 0.25 है0 को पूर्ववत कन्याबाई वगेरा के खाते दर्ज करने का दिनांक 16.11.2016 को निर्णय पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलांट कन्याबाई वगेरा द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार व अधिकार के अपीलांट की खातेदारी मे विधिवत रूप से दर्ज ख0 नं0 1733 रकबा 0.29 है0 भूमि को बदलकर चारागाह दर्ज करने का निर्णय पारित कर त्रुटि की है क्योंकि उक्त आराजी अपीलांट की ही खातेदारी व कब्जे शुदा भूमि प्रारम्भ से ही रही है। उक्त भूमि के स्थान पर अन्य भूमि ख0 नं0 2547/1734 रकबा 0.25 है0 को अपीलांट की मान कर रिकार्ड मे दर्ज करने का आदेश मनमर्जी रूप से पारित किया है। खातेदारी बदलने या रिकार्ड मे मनमर्जी रूप से चेन्ज करने का कोई भी अधिकार प्रथम अपीलीय न्यायालय को नहीं था न यह विवाद ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रहा था। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल उक्त आराजी 1733 के गत नम्बर 1083 थे और 1083 मे से 2 बीघा भूमि का आवंटन विधिवत अपीलांट के पति व पिता बंशीलाल को किया गया था जो न तो कही चैलेन्ज रहा और न उस बावत कोई विवाद है। रामचन्द्र के पूर्वजो वाली भूमि ख0 नं0 1056 वाली भूमि थी जिसके नये नम्बर अन्य ही रहे। पूर्व मे रामचन्द्र द्वारा प्रस्तुत वाद सं0 37/05 बउनवान रामचन्द्र बनाम सरकार, बंशीलाल, कन्या आदि न्यायालय उप जिला कलक्टर बारां ने दिनांक 30.3.07 को निरस्त कर दिया था जिसकी अपील रामचन्द्र द्वारा करने पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कम सेटलमेंट ऑफिसर द्वारा दिनांक 29.2.08 को निरस्त की गई जिसकी द्वितीय अपील राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा दिनांक 7.5.13 को निरस्त की जा चुकी है। उक्त अनुसार रामचन्द्र का अपीलांट की भूमि से कोई भी संबध व हक नही माना है। अतः अपील स्वीकार कर निर्णय प्रथम अपीलीय न्यायालय दिनांक 16.11.2016 निरस्त कर तहसीलदार अन्ता द्वारा पारित नामातरण सं0 1298 दिनांक 8.3.2016 बहाल किये जाने के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये बहस मे प्रकट किया कि अपीलांट के पति बंशीलाल को दिनांक 19.6.89 को ख0 नं0 1083 की भूमि आवंटित की गई थी जिसके दौराने सेटलमेंट नये ख0 नं0 1733 रकबा 0.29 है0 कायम किये गये। रामचन्द्र द्वारा न्यायालय उपजिला कलक्टर बारा मे दावा किया जिसे दिनांक 30.3.07 को खारिज कर दिया। बंशीलाल द्वारा जिला कलक्टर बारां के आदेश दिनांक 13.1.99, 17.299, 25.8.99 अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट मे पारित आदेश की अपील न्यायालय एडीसी कोटा मे किये जाने पर निर्णय दिनांक 16.5.01 से जिला कलक्टर बारां के उक्त आदेश निरस्त किये गये। विद्वान अभि0 अपीलांट ने बहस मे प्रकट किया कि न्यायालय एसडीओ बारां ने ख0 नं0 1733 से संबधित रामचन्द्र द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया है जिसकी अपील आरएए मे की गई जो दिनांक 28.2.2008 को खारिज कर दी गई तथा द्वितीय अपील भी राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा दिनांक 7.5.13 को खारिज की गई। नामा0 सं0 1143 दिनांक 15.10.13 से भूमि रामचन्द्र के नाम दर्ज की गई जिसे तहसीलदार अन्ता द्वारा न्यायालय के आदेश से ख0 नं0 1733 रकबा 0.29 है0 भूमि का अपीलांट के नाम नामा0 स्वीकार किया गया जिसकी अपील रेस्पो0 क्रम–1 ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां के यहां करने पर जिला कलक्टर बारां द्वारा ख0 नं0 1733 को चारागाह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये तथा मुझे ख0 नं0 2547/1734 की 0.25 है0 भूमि खाते दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जिसकी प्रश्नगत अपील माननीय न्यायालय मे की है। बहस मे आगे बताया कि खातेदारी बदलने या रिकार्ड मे मनमर्जी रूप से चेन्ज करने का कोई भी अधिकार प्रथम अपीलीय न्यायालय को नहीं था अधीनस्थ न्यायालय का आदेश मनमर्जी पूर्ण है। रेस्पो0 क्रम–1 का ख0 नं0 1733 से किसी प्रकार का

सदस्य रा० अपी०
कोटा

...सिद्ध प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है।

2– यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सर्वथा

कोई संबध नहीं है। धारा 75 एलआरएक्ट की अपील मे खातेदारी अधिकारों का निर्णय नही किया जा सकता। रामचन्द्र की अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर से खारिज हो चुकी है। बहस के प्रतिउत्तर मे जाहिर किया कि रेस्पो0 ख0 नं0 1733 के कैसे अधिकारी है नही बता पाये है पूर्व ख0 नं0 1083 इनके खातेदारी मे नही है ऐसी स्थिति मे ख0 नं0 1083 के सेटलमेंट विभाग द्वारा नये कायम किये गये ख0 नं0 1733 मे कैसे आये कोई रिकार्ड नही है यह रेगूलर वाद नही है। विवादित भूमि से रेस्पो0 का किसी प्रकार का कोई सरोकार नही है जिला कलक्टर बारां का आदेश 16.11.2016 अवैधानिक व मनमर्जी से पारित किये जाने से निरस्त किया जाकर नामा0 सं0 1298 तहसीलदार अन्ता बहाल किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम–1 ने बहस मे प्रकट किया कि बंशीलाल विवादित आराजी पर ट्रेसपासर था उसको पूर्व ख0 नं0 1083 की 2 बीघा भूमि दिनांक 19.6.89 को आवंटित की गई जिसके सेटलमेंट संबत 2044 मे नये ख0 नं0 1733 कायम किये गये। नक्शे मे ख0 नं0 1733, 1734 की भूमि रेस्पो0 क्रम–1 के तथा अपीलांट के ख0 नं0 2547/1734 दर्शाई गई। रेस्पो0 क्रम–1 ने धारा 136 एलआरएक्ट का वाद न्यायालय जिला कलक्टर बांरा के यहां प्रस्तुत किया गया जो सही निर्णय था। जिला कलक्टर बांरा के आदेश की अपील एडीसी कोर्ट मे की गई। ख0 नं0 1733 की भूमि अपीलांट की नही है जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है। विवादित आराजी का रेस्पो0 द्वारा नियमित वाद तथा क्रोस वाद अपीलांट द्वारा किया गया जो खारिज हो गया। अपील आरएए मे तथा द्वितीय अपील राजस्व मण्डल मे वादी सिद्ध नही कर पाने तथा प्रतिवाद दोनो खारिज हो गये। अपीलांट के नाम दर्ज नामा0 सं0 1298 की अपील रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा जिला कलक्टर बांरा ने स्वीकार की है। जिला कलक्टर बारां का निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

5 हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात का आध्योपांत अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1733 रकबा 0.29 है0 का परीक्षण न्यायालय तहसीलदार अन्ता द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के आदेश दिनांक 7.5.2013 की पालना मे इन्तकाल नं0 1298 दिनांक 8.3.2016 तस्दीक किया गया। उक्त इंतकाल के विरूद्ध रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा अपील न्यायालय जिला कलक्टर बारां मे इस आशय की प्रस्तुत की गई कि चारागाह की भूमि को कन्याबाई वगेरा के खाते दर्ज करने का परीक्षण न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रामचन्द्र द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार अन्ता द्वारा तस्दीकी नामान्तरकरण सं0 1298 दिनांक 8.3.2016 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर विवादित आराजी को पूर्ववत चारागाह दर्ज करने तथा कन्याबाई वगेरा के पक्ष मे तस्दीकी इन्तकाल सं0 940 को यथावत रखा जाकर अवस्थित आराजी ख0 नं0 2547/1734 रकबा 0.25 है0 को पूर्ववत कन्याबाई वगेरा के खाते दर्ज करने का जेरअपील निर्णय दिनांक 16.11.2016 पारित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर कथन किया कि खातेदारी बदलने या रिकार्ड मे मनमर्जी रूप से चेन्ज करने का कोई भी अधिकार प्रथम अपीलीय न्यायालय को नहीं है। रेस्पो0 क्रम–1 का ख0 नं0 1733 से किसी प्रकार का कोई संबध नहीं है। धारा 75 एलआरएक्ट की अपील मे खातेदारी अधिकारों का निर्णय नही किया जा सकता। विवादित आराजी से संबधित रामचन्द्र की अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर से खारिज हो चुकी है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। अपीलांट के कथन/तर्क के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7.5.2013 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रामचन्द्र रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा न्यायालय एसडीओ बारां मे विवादित आराजी ख0 नं0 1733 के संबध मे प्रस्तुत वाद को खारिज किया है जिसकी अपील न्यायालय आरएए मे करने पर दिनांक 28.2.2008 को खारिज कर दी गई जिसकी रामचन्द्र द्वारा द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे प्रस्तुत की गई जो भी ख0 नं0 1733 रकबा 0.29 है0 मिलान क्षेत्रफल के आधार पर अपीलार्थी (रामचन्द्र)

संभा० रा० आयु०
कोटा

का कोई सरोकार नही होना तथा विवादित भूमि पर उसके कब्जे के संबध मे पर्याप्त साक्ष्य नही होने के आधार पर निर्णय दिनांक 7.5.13 को खारिज की गई। अतः माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा पारित उक्त निर्णय से प्रतीत होता है कि विवादित आराजी ख0 नं0 1733 से रेस्पो0 कम–1 का किसी प्रकार कोई सरोकार नहीं है। चूंकि विवादित आराजी के संबध मे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त आशय का निर्णय पारित किया जा चुका है। उक्त विवेचित निर्णय के आलोक मे विवादित आराजी का नामा0 सं0 1298 दिनांक 8.3.2016 तहसीलदार अन्ता द्वारा अपीलांट के पक्ष मे तस्दीक किया है जिसको राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत रेस्पो0 कम–1 रामचन्द्र द्वारा प्रस्तुत अपील के माध्यम से निरस्त किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे हम अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बांरा द्वारा प्रश्नगत प्रकरण मे पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 16.11.2016 को न्यायोचित नहीं पाते है। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 16.11.2016 अपास्त किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर बांरा द्वारा प्रकरण संख्या 15/2016 बउनवान रामचन्द्र बनाम कन्याबाई वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 16.11.2016 अपास्त किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 12.10.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

( प्रियंका गोस्वामी )
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा